2327

30 को Date है

संख्या– / III(1)/17–04(10)नि0या0/2017

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य स्थाई अधिवक्ता,
मा0 उच्च न्यायालय,उत्तराखण्ड ,
नैनीताल।

लोक निर्माण अनुभाग–1 **देहरादून, दिनांक 25 अक्टूबर, 2017**

विषयः–विशेष अपील संख्या–494/2017 उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम ब्रहमपाल सिंह एवं अन्य आबद्ध विशेष अपील के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र दिनांक 12.10.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत विशेष अपील एवं अन्य संयोजित विशेष अपील के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपेक्षित सुनवाई दिनांक 26.10.2017 से पूर्व 04 बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत् प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया जा रहा हैः–

बिन्दु संख्या–1 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सिचाई विभाग के पत्र संख्या–1931, दिनांक 24.10.2017 के द्वारा स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है। आपके संदर्भित पत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा पत्र दिनांक 10.12.2001 के सम्बन्ध में जो उल्लेख किया गया है के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना सं0–4188 दिनांक 01.01.2000 के द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–6 के प्रस्तर–667, 668 व 669 में कार्य प्रभारित अधिष्ठान से संबधित नियुक्ति की व्यवस्था को समाप्त किया गया है, जिसके अनुपालन में लोक निर्माण विभाग के शासनादेश सं0–7553 दिनांक 10.12.2001 के द्वारा उक्त व्यवस्था के अनुसार कार्यप्रभारित अधिष्ठान में नियुक्ति नहीं किये जाने के आदेश पारित किये गये तथा शासनादेश सं0–8214 दिनांक 29.12.2001 द्वारा विनियमितीकरण किये जाने हेतु नीति निर्धारित की गई है। इस सम्बन्ध में शासनादेश सं0–46 दिनांक 03 जनवरी,2003 के द्वारा शासनादेश सं0–7553 दिनांक 10.12.2001 तथा शासनादेश सं0–8214 दिनांक 29.12.2001 को निरस्त करते हुए कार्यप्रभारित कार्मिकों के विनियमितीकरण हेतु नीति निर्धारित की गयी है (**प्रति संलग्न**)। इससे पूर्व लोक निर्माण विभाग के वर्कचार्ज कार्मिकों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के द्वारा दिनांक 15.10.1997 एवं 31.01.1998 के द्वारा नीति निर्धारित की गयी है।

अन्य 03 बिन्दुओं के सम्बन्ध में सिचाई विभाग के पत्र दिनांक 24.010.2017 यथोचित कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है।

भवदीय

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या–1569/III(1)/17–04(10)नि0या0/2017 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि :–. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि दिनांक 26.10.2017 प्रश्नगत प्रकरण में किसी भिज्ञ अधिकारी को मुख्य स्थाई अधिवक्ता से सम्पर्क स्थापित करते हुये उक्तानुसार मा0 उच्च न्यायालय में यथासमय उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

महत्वपूर्ण / कोर्टकेस / समयबद्ध

संख्या : 1931 / II(I)–2017–06(47) / 2016

प्रेषक,

अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

सेवा में,

मुख्य स्थायी अधिवक्ता,
उत्तराखण्ड सरकार,
मा.उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड
नैनीताल।

सिंचाई अनुभाग–1 दिनांक 24 अक्टूबर, 2017

विषयः–विशेष अपील संख्या–494 / 2017 उत्तराखण्ड राज्य व अन्य बनाम ब्रहमपाल सिंह व अन्य सयोजित विशेष अपील के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र दिनांक 12.10.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत विशेष अपील एवं अन्य सयोजित विशेष अपील के संबंध में मा0 न्यायालय में द्वारा दिनांक 12.10.2017 की सुनवाई में अपेक्षित 04 बिन्दुओं पर दिये गये निदेश के क्रम में निम्नवत् प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया जा रहा हैः–

बिन्दु–1 का प्रतिउत्तर–

(i) That in reply to query no. (i) it is submitted that para no. 665 & 666 of Financial Hand Book, Vol. VI deals with definition & general conditions of temporary establishment while para no. 667, 668 & 669 of F.H.B, Vol. VI exclusively deals with the definition, conditions of employment, consolidated rate of pay, the period of sanction and non-entitlement of pension & leave salary and allowances in respect of Work Charged Establishment.

Initially, the execution of different works were carried out departmentally and in order to perform the execution, the work charged employees were employed upon the actual execution of a specific work and when such **temporary establishment are employed on work of this nature, their pay should also be charged direct to the work.** The work charged establishment also comes under the purview of temporary establishment which is non-permanent establishment and their employment carries with it absolutely no claim to pension or to any leave salary. **Further, they are engaged for a special work and their engagement lasts only for the period during which the work lasts.**

The purpose and reason for deletion of para no. 667, 668 and 669 of F.H.B., Vol. VI are enumerated as below :-

1. Later on, the government policy regarding execution of work departmentally shifted to execution through contractors. Hence, no need existed further to engage the W/C employees against a specific work. Thus, ultimately personnel department of the then state of U.P. first of all put a ban on further employment of such type of temporary establishment vide Govt. Order No. 20/1/91 & का-2/ 91 dated 17.07.1991. **(Annexure-1)**

2. Further, the then state of U.P. issued Govt. Order No. 517/93-27-सिं0-7-88 (6) / 89 dated 04.02.1993 **(Annexure-2)** which provide priority to W/C employees regarding relaxation of age in selection against the regular posts in regular establishment.

3. Again vide Govt. Order No. 762/ 93-सिं0-7-88 (60)/ 89 dated 01.03.1993, **(Annexure-3)** the W/C employees were accorded permission for selection against group 'C' and 'D' regular posts according to seniority subject to rejection of unfit.

4. Similarly, the Govt. Order No. 691/97 -27- सिं-7-88 (26) / 85 dated 07.02.1997 **(Annexure-4)** also provides for absorption of muster roll employees in W/C establishment.

5. The newly created state of Uttarakhand has also framed policy for regularization of temporary establishment (including W/C establishment) vide govt. order dated 04.12.2002, Regularization Rules, 2011, Regularization Rules, 2013 & Regularization Rules, 2016.

Thus, form the aforesaid facts, it became crystal clear that **policy of the govt. was to absorb the muster roll employees in W/C establishment and then appoint all W/C employees into regular establishment against group'C'and'D' posts according to seniority, eligibility and availability of the post concerned.** Keeping in view the above facts, the then state of U.P. first of all put a ban on further employment of W/C employees vide G.O. dated 17.07.1991 and in continuation thereto issued G.O. dated 07.02.1997 for absorption of muster roll employees in W/C establishment. Meanwhile, Govt. Order dated 04.02.1993 was issued which provide relaxation of age to the W/C employees in selection against regular posts in regular establishment.